UPMZ010067072026

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02638

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2681/2026

श्रीमति शशी पत्नी सोहनवीर, निवासी–ग्राम भौराकलां, थाना–भौराकलां, जिला–मुजफ्फरनगर। ... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ... विपक्षी

मु0अ0सं0–33/2026, अन्तर्गत धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधि0, थाना–भौराकलां, जिला–मुजफ्फरनगर के मामले में आवेदक श्रीमति शशी की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया गया कि अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसने राशन वितरण में कोई अनियमितता नहीं बरती है। किसी भी राशन कार्ड धारक द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी है। वह न्यायालय अथवा पुलिस की प्रत्येक शर्त को स्वीकार करने के लिये तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं जमानत की शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

उक्त के विरोध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उस पर आरोप है कि उसके पास मौके पर 116 कट्टा (लगभग 58.00 कु) गेहूं व 45 (लगभग 22.50 कु) कट्टा चावल कम पाया गया। अभियुक्ता द्वारा उक्त सरकारी राशन की कालाबाजारी अवैध धन कमाने के लिए की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा उसके अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 07.05.2026 को वादी मुकदमा अचल राय द्वारा इस आशय की तहरीर थाना हाजा पर दर्ज करायी गयी कि श्रीमती शशि, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत भोराकलां ब्लाक शाहपुर तहसील बुढाना द्वारा मात्र 01 राशनकार्ड को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया है, जिस पर ग्राम पंचायत भोराकलां में जाकर उक्त श्रीमती शशि की उचित दर दुकान का निरीक्षण/जांच किया गया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता के पौत्र श्री विकास उपस्थित मिले व उनके द्वारा उचित दर दुकान का निरीक्षण कराया गया। विक्रेता की दुकान से 279 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड व 10 अन्त्योदय राशनकार्ड कुल 289 राशनकार्ड सम्बद्ध है. जिसके सापेक्ष विक्रेता द्वारा निरीक्षण के समय तक मात्र 01 राशनकार्डधारक को आवश्यक वस्तुएँ निर्गत की गयी है। विक्रेता को माह जून

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.20 12:02:37 IST
Reason: Bail Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

2026 के सापेक्ष भी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो गयी है। विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। ई–पस मशीन/विभागीय एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की आमद/अवशेष एवं बिक्री का विवरण निम्नवत् हैः माह मार्च 2026 का अवशेष गेहूं पात्र गृहस्थी 07.15 04.74 चावल अन्त्योदय 00.00 00.00 माह अप्रैल 2026 का अवशेष पात्र गृहस्थी 13.23 08.55 अन्त्योदय 00.42 00.28 माह मई 2026 का उठान पात्र गृहस्थी 27.40 18.10 अन्त्योदय 02.10 01.40 माह जून 2026 का उठान पात्र गृहस्थी 21.32 14.38 अन्त्योदय 01.68 01.12 योग 73.30 48.57 माह मई 2026 के सापेक्ष वितरण (घटाना) 00.06 73.21 स्टक जो दुकान पर उपलब्ध होना चाहिए 00.09 48.51 इस प्रकार विक्रेता की दुकान पर लगभग 146 कट्टा गेहूं तथा 97 कट्टा चावल का स्टक उपलब्ध होना चाहिये था। भौतिक सत्यापन किये जाने पर उचित दर दुकान में 30 कट्टा गेहूं व 52 कट्टा चावल उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार विक्रेता की दुकान में 116 कट्टा (लगभग 58.00 कु) गेहूं व 45 (लगभग 22.50 कु) कट्टा चावल कम पाया गया। मौके पर फर्द बरामदगी एवं दुकान पर पाया गया 30 कट्टा गेहूं तथा 52 कट्टा चावल श्री अजय कुमार, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत भोराखुर्द की सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया, किन्तु मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान/प्रधानपति एवं विक्रेता के पक्ष के कुछ ग्रामवासी एकत्र हो गये तथा विक्रेता शशि पर किसी प्रकार की कार्यवाही न करने का दबाव बनाने लगे। उक्त के आधार पर मुकदमा कायम हुआ तथा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तर्कों को सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों (केस डायरी)/पत्रावली का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन किया गया।

प्रार्थीया/अभियुक्ता पर आरोप है कि उसके पास मौके पर 116 कट्टा (लगभग 58.00 कु) गेहूं व 45 (लगभग 22.50 कु) कट्टा चावल कम पाया गया। अभियुक्ता द्वारा उक्त सरकारी राशन की कालाबाजारी अवैध धन कमाने के लिए की गयी है। उक्त मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्ता द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य व परिस्थिति इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित होता हो कि आवेदिका को अपमानित करने के आशय से उसकी गिरफ्तारी के लिए उन पर मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। आरोपित अपराध आर्थिक व सामाजिक अपराध से सम्बन्धित गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में दर्शाये गये तथ्य संतोषजनक नहीं हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के लिए विशेष असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं। अतः अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीया/अभियुक्ता श्रीमति शशी पत्नी सोहनवीर द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 19–06–2026